



(A)  
**राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... III/निग/17/2237..... जिला सतना.....

..... सौरवी लाल पटेल व अय विरुद्ध ..... इ-डभान ग्राम.....

1	2	3
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>अशोक सिंह</u>..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील <u>रामनाग</u>.....के प्रकरण क्रमांक <u>29/अ.74/15-16</u>.....में पारित आदेश दिनांक <u>12-6-17</u>.....के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सतना</u>.....के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>6-3-19</u>.....को कलेक्टर <u>सतना</u>.....के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

↓  
सदस्य